ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमरीक सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत राम नगर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	3.90
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.03
3)	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	0.03
4)	8	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान	0.81
5)	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना।	0.13

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20/08/2025 से 22/08/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	02/2025	06/2024

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹2400** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 505(1)/2025 दिनांक 22/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत राम नगर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित गोंदपुर बनेहरा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 454107 दिनांक 22/08/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थितिः-

सचिव, ग्राम पंचायत राम नगर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 तक के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2024-25	737325.04	3338241.56	4075566.6	2657933.56	1417633.04

नोटः- 15वें वित्तायोग शीर्ष का अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है |

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत राम नगर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में **₹63.64** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	1417633.04
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**1416755.68**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	941.00
4)	**योग (2+3)**	**1417696.68**
5)	**अन्तर (4-1)**	**63.64**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**63.64**
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**0.00**
कुल अंतर		**63.64**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹63.64 का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹63.64** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 500/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: उक्त अंतर

की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (4-3) (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग के अतिरिक्त समेकित)	390189.77	390253.41	63.64

4.3 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹3.90 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **[परिशिष्ट क 1(a)]** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में **₹390189.77** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे| अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹3450 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	1450	40100	41550	38100	3450

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 ₹0.01 लाख की दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 22/08/2025 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2025 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹500** वसूली हेतू शेष थी|

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	2750	3000	5750	5250	500

अतः दुकान किराये की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2600 सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	2600

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 501/2025 दिनांक 21/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.81 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू ' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 06/2024 में अंकेक्षण को **यथा परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹80946** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे| अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 504/2025 दिनांक 22/08/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा| उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है|

अतः **₹80946.00** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.13 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं| व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न**

विवरणानुसार ₹12587 की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 505/2025 दिनांक 22/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/61 दिनांक 22/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । अत: पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
RGSA	RGSA/2024-25/P/7	542 30.03.24	YADVINDER HARDWARE VPO NAKROH	PAINT MATERIAL	12587

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 497/2025 दिनांक 21/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/60 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
3	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
4	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
5	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
6	बिल रजिस्टर	13	48

11 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496/2025 दिनांक 21/08/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP/RN/2025-26/59 दिनांक 22/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिकाः- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 निष्कर्षः- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

01 NOV 2025

01 NOV 2025 का०/प्रति

6801 – 6805

01.11.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)134 / 2025--खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रामनगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01.11.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

परिशिष्ट ''क'' पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	737325.04	3338241.56	4075566.6	2657933.56	1417633.04

जिला ऊना (हि.प्र.)

12

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	737325.04	1643657	2380982.04	963349	1417633.04

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	457109.77	801125	1258234.77	868045	390189.77

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	280215.27	842532	1122747.27	95304	1027443.27

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

15

13

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1694584.56	1694584.56	1694584.56	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

15 14

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	1417633.04
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**1416755.68**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	941.00
4)	**योग (2+3)**	**1417696.68**
5)	**अन्तर (4-1)**	**63.64**
रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर		
स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त (समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**63.64**
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर		**0.00**
कुल अंतर		**63.64**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

15

परिशिष्ट (क-1)　　　　पैरा संख्या 4.1 (ख) के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Gondpur Banehra (Own & GIA)	200128003065	380826.10
	SBI Gondpur Banehra (Own & GIA)	36625530986	4728.81
	SBI Gondpur Banehra (SBM)	36625507991	3703.50
	KCCB Mubarikpur (MMAY)	50066764582	54.00
	HDFC Gagret (15th fc)	50100356973520	1027443.27
		योग	**1416755.68**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	941.00
		योग (1+2)	**1417696.68**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	1450	40100	41550	38100	3450

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट "ग"　　　　　　　　　　　　पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	2750	3000	5750	5250	500

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक दुकान किराये से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ण'   पैरा संख्या 7.3 के सन्दर्भ में

क्रमांक GP/2025-26/57   दिनांक 21.08.2025

कार्यालय ग्राम पंचायत राम नगर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना, हि०प्र०

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क बसूली की सूचना उपलब्ध करबाने बारे

क्रम सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूल की गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	अमन दीप पुत्र पवन कुमार	18.04.2024	07.05.2024	762864	200.00	200.00	0.00
2	अमरीक सिंह पुत्र पविन्द्र कुमार	18.04.2024	08.05.2024	762865	200.00	200.00	0.00
3	विशाल पुत्र कुन्दन सिंह	11.08.2024	24.08.2024	762871	200.00	200.00	0.00
4	मनोज कुमार पुत्र रमेश चंद	10.10.2024	24.10.2024	762872	200.00	200.00	0.00
5	नवीन कुमार पुत्र सतीश कुमार	21.10.2024	02.11.2024	762873	200.00	200.00	0.00
6	सतनाम सिंह पुत्र सरवन सिंह	09.02.2019	13.12.2024	762874	400.00	400.00	0.00
7	युकेश पुत्र गुरजीत सिंह	22.11.2024	17.12.2024	762875	200.00	200.00	0.00
8	अमित कुमार पुत्र महिन्द्र सिंह	06.12.2024	21.12.2024	762876	200.00	200.00	0.00
9	अयादाव अलि पुत्र मेहर दीन	25.11.2024	06.02.2025	762879	400.00	400.00	0.00
10	असमील मुहम्मद पुत्र रेहमत अलि	24.02.2025	07.03.2025	763270	200.00	200.00	0.00
11	विनय जसवाल पुत्र अश्वनी कुमार	22.02.2025	13.03.2025	763273	200.00	200.00	0.00
कुल योग					2600.00	2600.00	

भवदीय,

पंचायत सचिव

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)

~~20~~ 19

परिशिष्ट ड़ पैरा संख्या ४ के सन्दर्भ में						
ग्राम पंचायत द्वारा माह 06/2024 में खरीदी गई रेत, बजरी इत्यादि का विवरण						
क्रम संख्या	योजना का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	राशि
1	मनरेगा	अपगेडेशन पंचायत घर व चारदिवारी	2441 dt. 25-07-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	12000.00
2	मनरेगा	अपग्रेडेशन शमशान घाट	2879 Dt. 21-11-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	20298.00
3	मनरेगा	अपग्रेडेशन शमशान घाट	2882 Dt. 02-12-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	16348.50
4	मनरेगा	अपग्रेडेशन शमशान घाट	3335 Dt. 24-12-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	10000.00
5	मनरेगा	सौदर्यकरण तालाव नजदीक गुरचरण सिंह वार्ड न0 1	2578 Dt. 05-11-23	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	14100.00
9	मनरेगा	नवीनीकरण व सौदर्यकरण तालाव नजदीक आवादी गुरदेव सिंह वार्ड न0 6	3331 Dt. 06-02-24	M/S Nainika Stone Crusher Kadh	रेत, बजरी इत्यादि	8200.00
Grand Total						**80946.50**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत राम नगर
विकास खण्ड गगरेट
तह. अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.)